न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 146/2022 रा0प्रा0

उनवान

1. गोपाल पुत्र मनोहरलाल मेलाना निवासी महावीर मोहल्ला भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति अंजू पत्नि गोपाल मेलाना निवासी महावीर मोहल्ला भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

वादीगण

बनाम

1. प्यारा पुत्र मोडा लुहार मृतक कायम मुकाम :–
   1/1– ओम पिता प्यारा लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/2– रामकन्या पत्नी प्यारा लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
2. बालू पुत्र नाथू लुहार मृतक कायम मुकाम :–
   2/1– कालु पिता बालु लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
   2/2– सत्यनारायण पिता बालु लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
   2/3– प्रेमदेवी पुत्री बालु लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
   2/4– राधा देवी पुत्री बालु लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थित:–

1. वादीगण अधिवक्ता अमित कोठारी
2. प्रतिवादीगण में एक तरफा कार्यवाही

निर्णय दिनांक :– 13.06.2024

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम पांसल प0ह0 पांसल तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1156 रकबा 0.0379 है0 भूमि स्थित है। जो वादी संख्या 01 के पूर्वज नाथूलाल, कन्हैयालाल मेलाना की होकर साबिक आराजी नम्बर 1335 गै.मु. कुआ बजरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.04.1947 को कय कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.04.1947 के पश्चात् वादीगण के पूर्वज के नाम नामान्तरण दर्ज नही हुआ, वादीगण के पूर्वज की मृत्यु के पश्चात् साबिक आराजी संख्या 1335 गे.मु. कुआं वादीगण में निहित हो चुका है। वादीगण ने साबिक आराजी नम्बर 1335 के हॉल आराजी नम्बर 1556 गे.मु. चाह को रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.04.1947 के आधार पर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण की कयशुदा आराजी नम्बर 1155/1, 1157 कुल किता 02 रकबा 18 बिस्वा भूमि जो वादीगण के नाम दर्ज है इस भूमि की पिलाई का साधन आराजी संख्या 1156 रकबा 0.0379 है0 गे.मु. आचा से होता है। विवादित आराजी प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम पर होने से वादीगण को पानी निकालने के लिये दिनांक 28.10.2022 को मना कर देने से वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणात्मक डिकी ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 1156 रकबा 0.0379 हे0 आचा के संबंध में जारी कराई जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजी नम्बर 1156 के उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, हस्तक्षेप नही करे व न अन्य से करावे, हर्जा खर्चा वकील महनताना वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की मृत्यु हो चुकी वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 जा0दी0 व 151 जा0दी0 का दिनांक 02.01.2024 को प्रस्तुत किया जिसमें प्यारा पुत्र मोडा लुहार एवं बालू पुत्र नाथू लुहार की मृत्यु हो जाने से इनके विधिक वारिसान के कायम मुकाम निर्धारण करने हेतु निवेदन किया जिस पर वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया संशोधित उनवान पेश हुआ, मृतक प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान के सम्मन जारी किये गये प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से लगायत 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 से लगायत 2/4 के उपस्थित नही होने पर दिनांक 13.05.204 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई, वादीगण की साक्ष्य में गोपाल पुत्र मनोहरलाल मेलाना निवासी महावीर मोहल्ला भीलवाडा का शपथ पत्र दिनांक 12.06.2024 को प्रस्तुत किया जिसका मुख्य परीक्षण किया जाकर दस्तावेज प्रदर्श कराये है। जिसमें ग्राम पांसल के आराजी नं0 1156 रकबा 0.03 बिस्वा भूमि गे.मु. आचा खाता संख्या 782 प्यारा पिता मोडा, बालू पिता नाथू लुहारं सा0 देह खातेदार दर्ज है जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की पेश की जो प्रदर्श–1 है, इसी प्रकार ग्राम पांसल के आराजी नं0 1155, 1157 कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से आराजी नम्बर 1155/1 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 1157 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 18 बिस्वा भूमि विक्रय से प्राप्त होकर नामान्तकरण संख्या 5457 दिनांक 20.10.2014 को अंजू पत्नि गोपाल मेलाना के नाम दर्ज हुई जिसकी जमाबन्दी खाता संख्या 211 संवत 2069 से 2072 की पेश की जो प्रदर्श–2 है, विक्रयपत्र रजिस्टर्ड दिनांक 23.09.2014 श्रीमति मधु राठी से श्रीमति अंजू मेलाना के नाम पंजीबद्व हुआ जिसके दस्तावेज की फोटो प्रति प्रदर्श–03 ए है, इसी प्रकार कुआ आराजी नम्बर साबिक 1335 जो नाथू वल्द रूपा लुहार निवासी पांसल के नाम से नाथूलाल, कन्हैयालाल मेलाना सा0 पांसल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.04.1947 को क्रय की है जिसके दस्तावेज की फोटो प्रति प्रदर्श–04 ए है।

वादीगण के वादपत्र पर वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस के दौरान बताया कि ग्राम पांसल प0ह0 पांसल तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1156 रकबा 0.0379 है0 भूमि स्थित है। जो वादी संख्या 01 के पूर्वज नाथूलाल, कन्हैयालाल मेलाना की होकर साबिक आराजी नम्बर 1335 गै.मु. कुआ बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.04.1947 को क्रय कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.04.1947 के पश्चात् वादीगण के पूर्वज के नाम नामान्तरण दर्ज नही हुआ, वादीगण के पूर्वज की मृत्यु के पश्चात् साबिक आराजी संख्या 1335 गे.मु. कुआं वादीगण में निहित हो चुका है। वादीगण ने साबिक आराजी नम्बर 1335 के हॉल आराजी नम्बर 1556 गे.मु. चाह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.04.1947 के आधार पर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण की क्रयशुदा आराजी नम्बर 1155/1, 1157 कुल किता 02 रकबा 18 बिस्वा भूमि जो वादीगण के नाम दर्ज है इस भूमि की पिलाई का साधन आराजी संख्या 1156 रकबा 0.0379 है0 गे.मु. आचा से होता है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की घोषणात्मक डिकी जारी की जाये कि आराजी नम्बर 1156 रकबा 0.0379 हे0 गे.मु. आचा प्रतिवादीगण के नाम से हटाई जाकर वादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज की जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी करायी जाये की उक्त आराजी में प्रतिवादीगण वादीगण के उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी हस्तक्षेप नही करे व न अन्य से करावे।

Ghad

...ड अधिकारी एव
...सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण के वादपत्र का अध्ययन किया गया, बहस पर मनन् किया गया, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज का परीक्षण किया गया। ग्राम पांसल प0ह0 पासल तहसील भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 1335 चाह नाथू वल्द रूपा लुहार निवासी पांसल के नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.04.1947 से वादीगण के पूर्वज नाथूलाल, कन्हैयालाल मेलाना सा0 पांसल ने क्रय की उक्त साबिक आराजी नं0 1335 के हॉल आराजी नम्बर 1156 रकबा 0.0379 है0 भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से वादीगण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 29.04.1947 के आधार पर घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री चाही गई है। वादीगण अधिवक्ता ने बताया कि भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान खसरा अनुसार जिसमें साबिक आराजी नम्बर 1335/1 के हाल आराजी नम्बर 1156 रकबा 03 बिस्वा भूमि गे0मु0, आचा दर्ज है। उक्त भूमि गत भूमाप में नाथु पिता रूपा लुहार के नाम दर्ज होकर वर्तमान रेकार्ड में मौडा, बालु पिता नाथु, घीसी बेवा नाथु लुहार साकिन देह हिस्सा बराबर दर्ज रेकार्ड बताया है। ग्राम पासंल की जमाबन्दी सवंत 2065–68 में आराजी नम्बर 1156 रकबा 03 बिस्वा गे0मु0 आचा प्यारा पिता मोडा, बालु पिता नाथु लुहार साकिन देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है इसी प्रकार जमाबन्दी सवंत 2073–76 में आराजी नम्बर 1156 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टयर गे0मु0 आचा प्यारा पुत्र मोडा लुहार 1/2 हिस्सा व बालु पुत्र नाथु लुहार 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। ग्राम पासंल के साबिक आराजी नम्बर 1335/1 व 1335/2 नाथु पुत्र रूपा लुहार के नाम दर्ज रेकार्ड होना बताया है। वादीगण के आराजी नम्बर 1156 के समीप ही वादीगण की आराजी नम्बर 1155/1 व 1157 स्थित है उक्त आराजी की पिलाई आराजी नम्बर 1156 आचा से होती है इस प्रकार वादीगण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 29.04.1947 के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्व घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है अतः एवं

–:: आदेश ::–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, व 188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से लगायत 1/2 व प्रतिवादी संख्या 2/1 से लगायत 2/4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पांसल प0ह0 पांसल तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1156 रकबा 0.03 बिस्वा यानि 0.0379 हैक्टयर भूमि किस्म गे.मु. आचा जो प्यारा पुत्र मोडा लुहार 1/2 हिस्सा एवं बालू पुत्र नाथू लुहार 1/2 हिस्सा निवासी पांसल के नाम दर्ज है दोनों उक्त खातेदार का नाम हटाकर वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि उपरोक्त आराजी के वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण दखलअंदाजी हस्तक्षेप नही करे, व न अन्य से करावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे, तदनुसार डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 146/2022 रा0प्रा0

उनवान

1. गोपाल पुत्र मनोहरलाल मेलाना निवासी महावीर मोहल्ला भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति अंजू पत्नि गोपाल मेलाना निवासी महावीर मोहल्ला भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

वादीगण

बनाम

1. प्यारा पुत्र मोडा लुहार मृतक कायम मुकाम :—
   1/1— ओम पिता प्यारा लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/2— रामकन्या पत्नी प्यारा लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
2. बालू पुत्र नाथू लुहार मृतक कायम मुकाम :—
   2/1— कालु पिता बालु लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
   2/2— सत्यनारायण पिता बालु लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
   2/3— प्रेमदेवी पुत्री बालु लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
   2/4— राधा देवी पुत्री बालु लुहार निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 88, 89, 92क व 188 आर0टी0एक्ट

वादी की और से अधिवक्ता श्री अमित कुमार कोठारी उपस्थित। प्रतिवादीगण में — इस वाद में तारीख 13.06.2024 पीठासीन अधिकारी अव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, व 188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से लगायत 1/2 व प्रतिवादी संख्या 2/1 से लगायत 2/4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पांसल प0ह0 पांसल तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1156 रकबा 0.03 बिस्वा यानि 0.0379 हैक्टयर भूमि किस्म गे.मु. आचा जो प्यारा पुत्र मोडा लुहार 1/2 हिस्सा एवं बालू पुत्र नाथू लुहार 1/2 हिस्सा निवासी पांसल के नाम दर्ज है दोनों उक्त खातेदार का नाम हटाकर वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि उपरोक्त आराजी के वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण दखलअंदाजी हस्तक्षेप नही करे, व न अन्य से करावे।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा